राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशालय विशेष योग्यजन

क्रमांक : एफ. 10(1) ( )विधि / वि.यो./2019/ 12425 दिनांक 10/12/19

परिपत्र

विषय :दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 4 की धारा 23 के अर्न्तगत विशेष योग्यजन की शिकायत के निवारण हेतु शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 का निर्माण कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24 जनवरी, 2019 को किया जा चुका है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 के अर्न्तगत विशेष योग्यजन की शिकायत के निवारण हेतु शिकायत प्रतितोष अधिकारी का प्रावधान दिया गया है , जो निम्न प्रकार है:-

23. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति:-

(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

(2) धारा 20 के उपबंधो के अनुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत कर सकेगा, जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।

पता:- जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर दूरभाष:- 0141-2222249
विभागीय ई-मेल:- sjeraj_dis@yahoo.com, वेबसाइट:-www.dsap.rajasthan.gov.in

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतो का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, और प्रत्येक शिकायत की इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जॉच की जाएगी।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नही होता है तो वह निःशक्तता पर जिला स्तर समिति के पास जा सकेगा।

अतः उक्त अधिनियम के प्रावधान की पालना सुनिश्चित करने हेतु राज्य के प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के नोडल अधिकारी या राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम के नोडल अधिकारी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 4 की धारा 23 के अर्न्तगत विशेष योग्यजन की शिकायत के निवारण हेतु शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(डी.बी गुप्ता)
मुख्य सचिव

पताः- जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर दूरभाषः- 0141-2222249
विभागीय ई-मेलः- sjeraj_dis@yahoo.com, वेबसाइटः-www.dsap.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 10(1) ( )विधि / वि.यो./2019/ 12526-563 दिनांक 10/12/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

पताः- जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर दूरभाषः- 0141-2222249
विभागीय ई-मेलः- sjeraj_dis@yahoo.com, वेबसाइटः-www.dsap.rajasthan.gov.in